2019/00020

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

7..../19 तारीखरजूः— 24-1-19

उनवानः— परभाती आदि बनाम चन्द्र उर्फ भड्डू वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 25.02.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 393/0.39, 1666/4755/0.03, 1906/0.67 है0 ग्राम मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तिथि तक कब्जे काश्त मे दखन न करने के आदेश दिए जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ—साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 26.02.2019 को पेश हो। 334-37 24-1-19

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

26.2.19
प्रार्थी वकील उप0। रसीद AD प्राप्त। प्रतिवादी अर्ज उपस्थित नहीं है पीठासीन अधिकारी स्थानान्तरणाधीन है आईन्दा दिनांक 26.3.19 को पेश हो। रीडर

पेशकार
1174

HK

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
26.3.19	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। वकालतनामा पेश करने का कथन कर समय चाहा। P.O.सा. चुनाव ट्रेनिंग में जयपुर पधारे हो आईन्दा दि० 27.5.19 को पेश हो।
27.5.19	वकुलाय उप०। अप्रार्थीगण की ओर से श्री महेन्द्र शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जबाब पेश करने दिनांक 28.6.19 को पेश हो।
28.6.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 8.7.19 को पेश हो।
8.7.19	वकुलाय उप०। जबाब पेश करने दि० 8.8.19 को पेश हो।
8.8.19	वकुलाय उप०। जबाब पेश करने दिनांक 11.9.19 को पेश हो।
11.9.19	वकुलाय उप०। जबाब पेश करने समय चाहा। समय दिया गया। जबाब पेश करने दिनांक 30.9.19 को पेश हो।
30.9.19	वकुलाय उप०। जबाब पेश करने दिनांक 16.10.19 को पेश हो।
16.10.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 31.10.19 को पेश हो।
31.10.19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील एवं अप्रार्थीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है प्रार्थी वकील ने Not Press कर मुकदमा खारिज

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

(न्)यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

करने का कथन किया। अत: यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner